बौध्दिक सम्पदाः व्यापार चिन्ह एक विधिक अधिकार

डॉ. किरण चौहान
अतिथि विद्वान
राजीव गांधी शा.पी.जी.महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

सारः

बौध्दिक सम्पदा की उत्पत्ति मानव बुध्दि एवं उसके कौसल की क्षमता से होती है, और बौध्दिक सम्पदा अधिकार वे विधिक अधिकार जिसके संरक्षण क लिये मानव जगत या उत्पादक, अविष्कार आदि काल से आवष्यकता महसूस कर रहे थें। अतः इसके माध्यम से एक निष्चित अवधि एक अधिकार स्वामी के स्पष्ट अनुमादन के बिना किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा संरक्षित विषय वस्तु का लाभ उठाने का निषेध करना हे और बौध्दिक सम्पदा का स्वयं अर्थिक मूल्य होता है। परन्तु बौध्दिक सम्पदा की सबसे बडी समस्या होती है, कि अन्य लोगो द्वारा उसकी नकल की जा सकती है, जिसके इन सम्पदाओ की खोज करने वाले या अविष्कार करने वाले को अर्थिक लाभ पूर्ण 3प से नही मिल पाता है, कई बार तो इस पर दूसरे व्यक्ति द्वारा अक्रिमण भी कर लिया जाता है, हालांकि सरकार द्वारा अनवेषको को आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है, साथ इसके तहत् न्याय प्राप्त करने के लिये विभिन्न अधिनियम प्रतिपादित किये गये है जिनमें बौध्दिक सम्पदा एवं उसके संरक्षण के लिये अधिनियमो के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियों व शक्ति की व्यवस्था की गई है, बौध्दिक सम्पदा अधिकारो को संरक्षित करने के तारीखो में व्यापार चिन्ह, पेटेन्ट, कापीराईट व प्रजनन किस्म संरक्षण सम्मिलित है।

कई बौध्दिक सम्पदाओ का पेटेन्ट नही हो सकता है, उनकी सुरक्षा कापीराईट के द्वारा किया जाता है।

मुख्य शब्द :

व्यापार चिन्ह 1999, व्यापार रहस्य 1970, कापीराईट अधिकार 1957, बौध्दिक सम्पदा अधिकार, पेटेन्ट 1970, डिजाइन 2000, रजिस्टर व्यवस्था, बौध्दिक सम्पदा अधिकार, जैविक प्रजनन, पादप प्रजनन, अविष्कार अधिनियम, पी.बी.आर., डब्ल्यू.आई.पी.ओ., पी.सी.टी.,

प्रस्तावना :

बौध्दिक सम्पदा अधिकारो के कानूनो में व्यापार चिन्ह अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति की यह प्राकृतिक इच्छा रहती है, कि वह अधिक से अधिक प्रसन्न एवं सुख समृध्दि पूर्ण जीवन यापन करें और इसके लिये वह जीवन भर प्रयासरत रहता है, जिसके सन्दर्भ मे वह अपनी योग्या एवं परिस्थितियो के अनुसार नये–नये अविष्कार करता है तो लेखक नई–नई साहित्यिक कृतियों का निर्माण करते है, उद्योगपति नई–नई तकनीको से नये–नये उत्पादन करते है, अनुसंधानकर्ता नये–नये

अविष्कार करते है, वही व्यापारी अपने–अपने कौषल एवं नये उत्पादो से अपना व्यवसाय विकसित करने मे लगे हुये है, दूसरे शब्दो मे कहे, तो समाज के हर वर्ग के लोग अपने–अपने स्तर पर अपने कौषल, महनत, प्रतिमा को उजागर करने के उद्देष्य से कुछ नया कर रहे है, ओर इससे प्राप्त होने वाले परिणाम ही उसकी बौध्दिक सम्पदा है, और उक्त सम्पदा में से जो जेष्ठता उसने प्राप्त की उसके लिये वह चाहेगा कि उस विषेषता एवं उसकी श्रेष्ठता के लिये उसकी एक पहचार बनी रहे, साथ ही उसके विक्रय से होने वाले लाभ का वह ही एकमात्र कहदार हो, जिसके लिये यह आवष्यक है, कि वह अपने उत्पाद या सेवाओ के लिये कोई विषेष चिन्ह, आकृति, तस्वीर या शब्द का या दोनो का एक विषेष अलग तरह से उपयोगग देना ताकि उसके उत्पाद की एवं सेवाओ की उस विषिष्ट चिन्ह के कारण उत्पाद पर या सेवा पर वह चिन्ह लगा हुआ हो, जिससे जन सामान्य को यह ज्ञात हो जाये कि वह उत्पाद या सेवा व्यापारी द्वारा उपलब्ध कराई गई है और यही पहचान उसका व्यापार चिन्ह कहलाता है, जिस पर उसके व्यापार का नाम एवं लाभ निर्भर करता है।

बौध्दिक सम्पदा की एक मुख्य विषेषता यह है, कि इससे किसी भी देष का आर्थिक विकास होता है, और यह किसी देष या समाज के आर्थिक विकास की रीढ है। और यह सारे दष की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, यह कहना किसी तरह की अतिष्याक्ति नही होगी। तकनीकी विकास अविष्कार या अनुसन्धान, शाध जिस भी देष के नागरिक करते है उसको इस बौध्दिक सम्पदा कानून से संरक्षण प्राप्त होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार चिन्ह के लिये प्रयास

अन्तराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार चिन्ह के लिये प्रयास काफी प्राचीनकाल से ही अपने उत्पाद को एक पहचान बनाये रखने के लिये चिन्ह लगाने का प्रचलन रहा है करीब 3000 साल पहले भी जब भारत का समान ईरान भेजा जाता था, तब षितपकार उत्पाद पर अपने हस्ताक्षर करके भेजता था। हालांकि फ्रांस, जापान, जर्मनी, इग्लैड, यूनाईटेड स्अेट आदि देषो मे बहुत पहले से ही इस ओर प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये थे। किसी भी उत्पादक को अपने उत्पादन की विषेषताओ के लिये कोई विषेष चिंह प्राप्त हो जिसे कोई अन्य व्यक्ति उपयोग नही कर सके। सर्वप्रथम फैक्ट्री मैन्यूफेक्चर एण्ड वर्कप्लेस एक्ट 1803 मे अन्तराष्ट्रीय तौर पर तय कर लिया था कि कोई किसी की सील का प्रयोग नही करेगा, यदि कोई ऐसा करेगा तो वह अपराध होगा जिसका परिणाम 1800 एवं 1824 के अधिनियमो ने इसे एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया, इसके पष्चात धीरे अन्य राज्यो मे भी अधिनियमों के माध्यम से संरक्षित किया गया। इसके लिये समय–समय अभिसमय किये गये जैसे–पेरिस अभिसमय, 1883 मे 14 देषो द्वारा हस्ताक्षर किये वर्तमान मे 173 देष सदस्य है, भारत भी इसका एक सदस्य है, जिसके द्वारा प्रबन्ध किया गया दिसम्बर 1998 को भारत द्वारा सदस्यता ग्रहण की गई।

ट्रिप्स संषोधन 1986–1994, डब्ल्यू.टी.ओ. , डब्ल्यू.आई.पी.ओ. व्यापार चिन्ह विधि सान्धि 22 अक्टूबर 1994, भारत मे व्यापार मे व्यापार एवं अन्य वस्तुचिन्ह अधिनियम, 1958 अधिनियम पारित किया गया व्यापारचिन्ह अधिनियम, 1999 फिर 2002 ।

व्यापार चिन्ह को बौध्दिक सम्पदा के रुप मे मान्यता

व्यापार चिन्ह अधिनियम द्वारा पेटेन्ट प्रतिलिप्याधिकार एंव डिजाइना के समान ही बौध्दिक सम्पदा से शामिल करा दिया है। न्यायालय ने भी व्यापार चिन्ह अधिनियम के आधार पर अनेक मामलो मे उत्पादको एवं सेवा प्रदाताओ को उनके व्यापार चिन्ह का अन्य व्यापारी द्वारा उपयोग करने के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के आदेष दिये है जैसे– धारीवाल इण्डस्ट्रीज लि. बनाम ए.एम.एस.एस.फूड प्रोडक्टस[1] के मामले मे यह अभिनिर्धारित किया गया कि अन्य व्यक्ति इसी से मिलते–जुलते नाम मालिकचन्द पान मसाला नाम से अपने उत्पाद को नही बेंच सकता है।

इसी प्रकार से जितेन्द्र वी.जैन.एवं अन्य बनाम लिविंग मीडियो इण्डिया लि.[2] मामले मे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सिगिन आदेष देते हुये कहा कि लिविंग मीडिया इण्डिया का व्यापार चिन्ह आज तक जनसाधारण का जाना पहचान नाम है. और प्रतिवादी द्वारा खबरे आज तक के नाम से व्यापार करना जनता को भ्रमित करने वाला है, अतः वह इसका उपयोग नही कर सकता है।

व्यापार चिन्ह विनिमर्ताओ या व्यापारियो को इसके सम्बन्ध मे बौध्दिक सम्पदा से संबंधित अन्य अधिकार प्राप्त है, जैसे व्यापार चिन्ह अधिकार 2 प्रकार के होते हैं।

1. विधि द्वारा रजिस्ट्रिकरण के माध्यम से प्रदत्त अधिकार।
2. माल या सेवाओ से संबंधित व्यापार चिन्ह, व्यापार नाम या रुप सज्जा के वास्तविक उपयोग से अर्जित अधिकार सिकी माल या उत्पाद पर चिन्ह द्वारा पहचान स्थापित करने का तरीका काफी पुराना है, परन्तु औद्योगिक क्रान्ती के पष्चात इसका व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने लगा और एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योकि माल या उत्पादन और वितरण विवरण की व्यवस्था में प्रिंट मीडिया की सहायता से माल इनके विनिर्माताओ, उदगम क्षेत्र के स्त्रोत की गुणवत्ता आदि की पहचान जनता खासकर उपभोक्ताओ और भावी उपभोक्ताओ के लिये व्यापार चिंह मानक प्रदर्षित करने के उद्देष्य से लाभकारी होता है और धीरे–धीरे होते गया। क्योकि समय के साथ व्यापारिक व वाणिज्यीक क्षेत्रो मे प्रतिस्पर्धा दिनो दिन तीव्रगति से बढ़ने लगा और जिसका परिणाम व्यापार चिन्ह है जो प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति को प्रदर्षित करता है। जनसाधारण की मांग ने इसे तीव्रगति से विकसित किया परन्तु इसी के साथ ही गुणवत्ता युक्त वस्तु के साथ जटिल किस्म के माल ने बाजार पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया, इससे नकली या नकल करने वालो की संख्या मे तीव्रगति हुई, जहॉ एक ओर माल के विनिर्माताओ व्यापारियो की प्रसिध्दता दाव पर लगी है और वे लाभ नही कमा पा रहे है, वही दूसरी ओर उपभोक्ताओ, और भावी उपभोक्ताओ को नकली सामानो से सावधान होना आवष्यक हो गया है। अब प्रष्न उठता है कि व्यापार चिन्ह क्या है।

व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 2 (1) ख {ट्रेड मार्क एक्ट सेक्सन 2(बी)} मे परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार व्यापार चिन्ह का अर्थ है, एक चिन्ह जो प्रतिनिधित्व किये जाने हेंतू सक्षम हो और एक व्यक्ति के माल अथवा सेवाओ का अन्तर हो और एक व्यक्ति के माल अथवा सेवाओ का अन्तर

इससे ये करने के लिये समर्थ हो और मामलो के आकार उनके पार्सल तथा रंगो के मेल को साम्मिलित करे। व्यापार चिन्ह एक निषानी स्वरुप पहचान चिन्ह है, इस की परिभाषा सेक्सन 2 (1) मे दी गई है, इसके आधार पर निम्नलिखित चिन्ह में साम्मिलित है, जैसे–1. उपाय 2. छाप 3. शीर्षक 4. नामपत्र. 5. टिकिट 6. नाम 7. हस्ताक्षर 8. शब्द 9. अक्षर 10. अंक 11. माल का आकार 12. पार्सल/पैकिंग 13. रंगो का समुच्च्य

ट्रेड की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है, कि इसमें नाम और शब्द को भी शामिल किया गया है, नाम से उनका संक्षकपाकार शामिल है।

व्यापारिक चिन्ह में व्यापारिक नाम को भी सम्मिलित माना जाता है, जैसे कि किलस्किर डीजल रिकोन प्रा.लि. बनाम किलोस्कर प्रोबाइटरी लि.मि.[3] के मामले में व्यापारिक नाम को व्यापार चिन्ह के अन्तर्गत माना गया। अतः स्पष्ट किया गया कि – व्यापार चिन्ह माल तथा सेवाओ के लिये होता है। इनके लिये अधिनियम की धारा–2 (1) (अ) तथा (ब) में परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार माल से भिप्राय किसी ऐसी वस्तु सेवा का अर्थ है, कि किसी वर्ग की सेवाये शाक्तिषाली उपभोक्ताओ को उपलब्ध कराई गई है जिनमें कोई औद्यौगिक अथवा वाणिज्यीक विषय के व्यापार के संबंध में सेवाओ का उपबन्ध सम्मिलित जैसे– बैक कार्य, संचार, षिक्षा, वित्त, पोषण, बीमा, चित्र फण्ड, वास्तविक सम्पदा, तात्विक व्यवहार, यातायात, भण्डारण, प्रसंस्करण,विद्युत या अन्य शक्ति की आपूर्ति, निर्माण, मरम्मत, समाचार या सूचना पहुंचाना ओर विज्ञापन देना। इससे स्पष्ट हो गया कि व्यापार चिन्ह का प्रयोग माल और सेवा दोनो के लिये किया जाता है– जैसे कि तेजसिंह बनाम देवी[4] के मामले मे आन्ध्रप्रदेष के उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि व्यापार चिन्ह उपयोग केवल वस्तुओ के लिये, बात की सेवाओ के लिये सकिय होती है, यदि किसी सेवा के व्यापार चिन्ह का अतिलंघन किया जाता है, तो उस पर यह अधिनियम लागू होगा। ऐसा ही टाटा सन्स लि. बनाम मनु केसरी[5] 2001 दिल्ली के मामले मे अपधारित किया गया है, इन्टरनेट सेवाओ पर भी व्यापार चिन्ह का उपयोग केवल वस्तुओ के लिये, सेवाओ के लिये भी किया जाता है, यदि किसी सेवा के व्यापार चिन्ह का अतिलंघन किया जाता है, तो उस पर यह अधियिम लागू होगा। ऐसा ही टाटा सन्स लि. बनाम मनु कोसारी[6] 2001 दिल्ली के मामले के आधारित किया गया है, इन्टरनेट सेवाओ पर भी व्यापार चिन्ह अधिनियम का प्रयोग मान लिया गया हैं।

व्यापार चिंह वस्तुओ एवं सेवाओं में अन्तर होता है, जिसको स्पष्ट करना आवष्यक होता है, क्योकि यही इसका महत्वपूर्ण लक्षण है, यह अन्तर नेषनल बेल के एण्ड गुप्ता इंडस्ट्रिज कॉरपोरेषन बनाम मेंटल गुड्स मैन्यूफैक्चरिंग कं. प्रा लि.[7] मामले मे उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया, कि व्यापार चिन्ह अस्तित्व मे रहता है और यह व्यापार चिन्ह जनसाधारण के लिये वस्तुओ में एवं उनकी सेवाओ में अन्तर स्पष्ट करता है, अर्थात् किसी वस्तु सेवा के स्वामित्व के विषण मे बोध कराता है।

व्यापार चिन्ह क आवष्यकता पर प्रष्न उठता है कि यह आवष्यक क्यो है, जिसका उत्तर निम्न लिखित प्रायोजनो हेतु आवष्यक बताया गया है।

1. उत्पाद की उत्पत्ति एवं उसके गुणो की जानकारी देने हेतू।

2. उत्पाद के विज्ञापन के प्रयोजन के लिये।
3. उपभोक्ताओ के मन मे उत्पाद के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिये,।
4. उत्पाद की क्वालिटी की गारन्टी देने के प्रयोजन के लिये।
5. उत्पाद की बिक्री की बढोतरी के लिये।
6. एक उत्पाद को दूसरे उत्पाद से विभिन्न के लिये।
7. उत्पाद की गुडविल को संरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन के लिये।

व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 कुछ उद्देष्यो के आधार पर संरक्षीत का प्रावधान करता है, जैसे–

1. व्यापार चिन्ह के रजिस्टर्ड स्वत्वधारियो के हितो की सुरक्षा करना।
2. व्यापार चिन्ह के रजिस्टर्ड स्वत्वधारी को रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह में एकाधिकार प्रदान करना।
3. व्यापार चिन्ह के उपयोग को और अधिक बेहतर संरक्षण प्रदान करना।
4. कपटपूर्ण व्यापार चिन्हो से स्वत्वधारी के व्यापार चिन्ह को सुरक्षा प्रदान करना।
5. माल और सेवाओ के लिये व्यापार चिंह का रजिस्ट्रेषन करना।
6. व्यापार चिन्हो से संबंधित विधि का संषोधन एवं समेकन करना।
7. व्यापार चिन्ह के अतिलंघन को रोकने के लिये शास्ति का उपबन्ध करना।

वर्तमान में बौध्दिक सम्पदा अधिकार के अन्तर्गत व्यापार चिन्ह को मान्यता प्राप्त है, औरर इस अधिकार को संरक्षित करने के लिये कर राज्यो द्वारा विधायन कि ये गये है, इसक पूर्व पेटेन्ट को डिजाइन के साथ व्यापार चिन्ह को भी औद्योगिक सम्पदा माना जाता था, परन्तु वर्तमान में पेटेन्टो और डिजाइनो की तरह व्यापार चिन्ह को भी एक सर्वश्रेष्ठ नाम बौध्दिक सम्पदा के तहतफ माना जाता है। जिसके परिणाम स्वरुप अन्य अनेक अधिकारो के अलावा वे सभी अधिकार अच्छादित होते है जिन्हे पहले औद्योगिक सम्पदा और साहित्यिक अधिकारो जैसे– प्रतिलिप्याधिकार , के रुप मे माना जाता था।

समय के साथ व्यापार कार्य तरह से किया जाता है, एक अच्छे लाभ हेतु अच्छा व्यापार चिन्ह, अच्छा उत्पाद करना व्यापार की एक महत्वता है, इसके लिये व्यापारियो व अविष्कार खण्डो को एक बडा निवेष करना पडता है, और जिसका संरक्षण के लिए रजिस्ट्रीकरण करना अति आवष्यक है, ताकि उत्पाद के व्यापार चिन्ह को कोई अतिलंघन न करें और ऐसा कना है तो उसे दण्ड देने की व्यवस्था भी इस अधिनियम के तहत व्यवस्थित है, वर्तमान समय व्यापार चिन्ह व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र मे अपनी उपयोगिता के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है।

कभी–कभी घटिया या नकली माल खरीदने के आलावा उपभोक्ताओ के पास अन्य कोई विकास नही रह जाता है, परन्तु यदि वे पर्याप्त जानकारी रखते है, तो वह अपनी खरीदारी के विक्रय को सही दिषा मे पाने मे सक्षम हो जाते है, इसी कारण ये उपभोक्ताओ के लिये बाजार उच्चकोटी का हो जाता है, जबकि ग्राहक को यह ज्ञान हो जाता है, कि कौन सा सामान अच्छा हे उसका समय व पैसा बर्बाद होने से बच जाता है। जो उद्योग या अविष्कार अपने व्यापार के प्रति जितना सजग व ईमानदार

होगा, उसे बाजार क्षेत्र में उतना ही ससक्त अधिकार व संरक्षण प्राप्त होना चाहिये, ताकि उसे अपने त्पाद से पूंजी लाभ हागी और वह अधिकार पंजीकृत व्यापार चिन्ह को ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए प्रत्येक उद्योगपति, व्यापारी उत्पादक, अविष्कार, साहित्यकार और अन्य को अपने व्यापारिक चिन्ह को रजिस्ट्रीकृत कराना चाहिये ताकि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसका लाभ हित का अतिक्रमण न किया जा सके।

आई.टी.सी.लि. बनाम जी.टी.सी. इण्डस्ट्रीज लि.[8] के मामले में बाम्बे उच्च न्यायालय ने अधिनिर्धारित किया कि वह शब्द जो सामान्यतः काम मे लिये जाते है, और वह पूर्ण रुप से उस उत्पाद मे समाहित है, जो माल की प्रकृति से उत्पन्न होता है और माल की प्रकृति, गुण तथा विषेषता को प्रदर्षित करता है, उसे व्यापार चिन्ह के रुप मे पंजीकृत नही किया जा सकता है, और इसी मामले मे उच्चन्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि पंजीकरण के आवेदन जो व्यापार चिन्ह एवं विपणन।

अधिनियम 1958 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये थे उनका निस्तारण वर्तमान व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा। पंजीकरण अधिनियम की धारा–20 के तहत् विज्ञापित करवाया जाता है और उस विज्ञापन के बाद आवेदन पर नि.लि.कार्यवाही की जाती है– 1. 3 महिने के अन्दर उस आवेदन का विरोध किया जा सकेगा, यह विरोध पंजीयक के समक्ष लिखित रुप मे करना होगा जिसकी सूचना पंजीयक आवेदक को देगा।

2. आवेदक उस विरोध के बाबत अपना प्रतिकथन प्रस्तुत करेगा।

3. उस प्रतिकथन की एक प्रति विरोध करने वाले व्यक्ति को दी जायेगी।

इसके पष्चात दोनो पक्षकारो को अपने अपने कथन के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, तथा अन्त में दोनो पक्षकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद पंजीयक अपना विनिष्चय प्रदान करने के बाद पंजीयक अपना विनिष्चय लिखित रुप में प्रदान करेगा।

गुप्ता इन्टरप्राईजेस बनाम गुप्ता इन्टरप्राईजेज एवं अन्य[9] के मामले मे दिल्ली उच्च न्यायालय ने विरोधकर्ता के विरोध को नही माना और प्रार्थी के व्यापार चिंह को पंजीकरण योग्य माना क्योकि विरोधकर्ता ने कोई साक्ष्या प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हाता है कि वह गुप्ता व्यापार चिंह का निरंतर उपयोगी हो और उसने किसी विधि के अन्तर्गत गुप्ता व्यापार चिंह पर अनन्य अधिकार अर्जित कर लिया हो, अतः प्रतिवादी का विरोध आगे चलने लायक नही है।

किसी भी व्यापारिक चिन्ह की पंजीकरण की अवणि 20 वर्ष के लिये सुनिष्चित कराया जा सकता है, जिसके लिये आवेदकको नवीनीकण आवेदन के सथ निर्धारित फीस भी जमा करना होगा। अर्न्तराष्ट्री पंजीकरण के माध्यम से मौद्रिक प्रोटोकॉल के आधीन व्यापार चिन्ह संरक्षण से संबंधित विषेष उपबन्ध।

इस अधिनियम को बौध्दिक सम्पदा– व्यापार चिंह के अन्तर्गत 4–A एक नवीन अध्यय के 3प मे जोडा गया है, जो व्यापार चिन्ह के नाम से जाना जाता है इसके अन्तर्गत धारा 36–A, परिभाषा, मूल आवेदन, मूल पंजीकरण, सामान्य विनियम, करार करने वाले संगठन, करार करने वाले पक्षकार, करार करने वाले

राज्य, अन्तराष्ट्रीय पंजीयक के प्रभाव, अन्तराष्ट्रीय पंजीकरण की अवधी और नवीनीकरण का प्रावधान किया गया उक्त अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है।

निष्कर्षः–

अतः कहा जा सकता है कि बौध्दिक सम्पदा की सुरक्षा और संरक्षण के लिये प्रत्यक अविष्कारक को यह निष्चित करना होता है कि वह अपनी बौध्दिक सम्पदा की सुरक्षा किस प्रकार करना चाहता है क्योकि संरक्षण व सुरक्षा की विधि ज्यादातर बौध्दिक सम्पदा की प्रकृति पर अधिक निर्भश्र होती है, उदाहरण के तौर पर किसर पुस्तक की सुरक्षा केवल कॉपीराईट, प्रतिलिप्यधिकार द्वारा की जा सकती है। बौध्दिक सम्पदा अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योकि प्रत्येक की यह प्रकृतिक इच्छा होती है कि वह अधिक से अधिक प्रसन्न एवं समृध्दि शाली जीवन यापन करे। व्यापार चिंह को बौध्दिक सम्पदा के रुप मे मान्यता प्राप्त है, न्यायालयो मे भी व्यापार चिंह अधिनियम 1999 के आधार पर अनेक मामलो मे उत्पादको एंव सेवा प्रदाताओ को उनके व्यापार चिंह का अन्य व्यापारी द्वारा उपयोग करने के लिये खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिए खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के आदेष दिये गये हे और इसक अतिलंघन होने पर न्यायालयो ने हस्तक्षेप किया और अपने आदेषो के द्वारा संरक्षण प्रदान किया, जिसका परिणाम है कि वर्तमान समय मे व्यापार चिंह का विकास व संरक्षण तीव्रगति से हो रहा है। जिसका प्रभाव भारत राज्य के आर्थिक व वाणिज्यीक विकास के लिये सराहनीय होगा।

संदर्भ सूचीः

1. ए.आर.आई. 2005 एस.सी. 1999.
2. 2002 (25) पी.टी.सी. 30 (दिल्ली)
3. ए.आई.आर. 1996 बम्बई 149.
4. ए.आई.आर. 1973 आन्ध्रप्रदेष 51.
5. ए.आई.आर. 2001 दिल्ली. पी.टी.सी. 431.
6. ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 898.
7. 2008 (36) पी.टी.सी. 342 मद्रास
8. बौध्दिक सम्पदा विधि व्यापार चिन्ह अधिनियम 1990 एस.के.सिंह पृ. 201